[2021] 2 एस सी आर 173

विकास किशनराव गवली

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 980)

04 मार्च, 2021

[ए. एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम,

एक घोषणा जो एस। 12 (2) ((c) महाराष्ट्र जिला परिषदों का और पंचायत समिति अधिनियम, 1961, के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है

कलाएँ। 243 - डी और कला सहित 243-टी। 14 और संविधान का 16-इसके अलावा, दिनांकित अधिसूचनाओं की वैधता 27.07.2018 और

14.02.2020 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया

जिला परिषदों के संबंध में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण और पंचायत समितियों पर सवाल उठाए गए हैं-में प्रावधान

एस का रूप। 12 1961 अधिनियम उत्तरदाताओं को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों में-प्रतिवादी-राज्य ने आग्रह किया कि सीटें आरक्षित करने की अनुमति है

1961 के अधिनियम में अनुमत सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए-आयोजित: के. कृष्ण मूर्ति मामले में संविधान पीठ के निर्णय की आवश्यकता थी

ओ. बी. सी. के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा तीन परीक्षण/शर्तों का पालन करने की आवश्यकता है अर्थात (1) एक समर्पित संगठन स्थापित करने के लिए।

आयोग समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करेगा

पिछड़ेपन की प्रकृति और स्थानीय प्रभावों में

के आलोक में स्थानीय निकाय के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता है आयोग की सिफारिशें, ताकि गलत न हों

कुल सीटों में से कुल 50 प्रतिशत के पक्ष में आरक्षित एससी/एसटी/ओ. बी. सी. को एक साथ लिया गया-उक्त ट्रिपल परीक्षण शर्तें थीं

राज्य द्वारा अनुपालन नहीं किया गया-एस के संबंध में। 12 (2) ((c) 1961 के अधिनियम की धारा 1994 में अंत:स्थापित, सादा भाषा एक धारणा देती है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य भर में कुल सीटों में से 27 प्रतिशत की समान और कठोर मात्रा को ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण के माध्यम से अलग रखने की आवश्यकता है-संविधान पीठ के कथन के आलोक में, इस तरह के कठोर प्रावधान को राज्य के भीतर सभी स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू होने के बावजूद बनाए नहीं रखा जा सकता है-एस के रूप में प्रावधान। 12 (2) (ग) इसे नीचे पढ़कर बचाया जा सकता है-'s' में आने वाली अभिव्यक्ति 27 प्रतिशत से पहले होगी। 12 (2) (ग), "हो सकता है" के रूप में समझा जाए, जिसका अर्थ यह है कि आरक्षण के लिए

ओ. बी. सी. 27 प्रतिशत तक हो सकते हैं लेकिन एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. के पक्ष में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की बाहरी सीमा के अधीन हैं।

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित-तत्काल मामले में, पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कोई समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच नहीं की गई है।

इस उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित समर्पित आयोग था यह राज्य के लिए एस पर वापस आने के लिए खुला नहीं है। 12 (2) (ग) जैसा कि 1994 में अधिनियमित किया गया था-वह प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है और

तीन गुना पूरा करने पर ही कार्यात्मक और कार्यात्मक हो जाएगा

संविधान पीठ द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण-इस प्रकार, राज्य चुनाव आयोग द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए जारी की गई विवादित अधिसूचनाएं, मूलभूत अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त हैं-विवादित अधिसूचनाएं उस हद तक हैं जब वे संबंधित निकायों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण प्रदान करती हैं।

इसलिए, स्थानीय निकाय अमान्य हैं और कानून के अधिकार के बिना हैं।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. के. कृष्ण मूर्ति में दिए गए कथन को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, निम्नलिखित बात यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में "संवैधानिक" आरक्षण के विपरीत, जो जनसंख्या के अनुपात से जुड़ा हुआ है, ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण केवल राज्य विधानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक "वैधानिक" व्यवस्था है। के रूप में

सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने वाले राज्य कानूनों के संबंध में

ओ. बी. सी. के संबंध में, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मामले में एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के संबंध में कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण संबंधित स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मामले में, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण प्रदान किया गया और

एसटी को पूरी 50 प्रतिशत सीटों का उपभोग करना था

संबंधित स्थानीय निकायों और कुछ मामलों में अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से भी अधिक, ऐसे स्थानीय निकायों के संबंध में, प्रश्न विकास किशनराव गवली बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस।

ओ. बी. सी. को और आरक्षण प्रदान करने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। इसे अलग तरह से रखने के लिए, ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण की मात्रा स्थानीय निकाय विशिष्ट होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए कि यह 50 प्रतिशत की मात्रात्मक सीमा से अधिक न हो।

(एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के लिए सीटों के ऊर्ध्वाधर आरक्षण का कुल)

एक साथ लिया गया। [पैरा 7] [187-ए-डी]

2. इस अलंघनीय मात्रात्मक सीमा के अलावा, राज्य प्राधिकरण अन्य पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करना। सबसे प्रमुख आवश्यकता पर्याप्त सामग्री या दस्तावेजों को इकट्ठा करना है जो आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए स्थापित एक स्वतंत्र समर्पित आयोग के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की अनुभवजन्य जांच। इस प्रकार, राज्य

प्रतिशत, जब इसे 1994 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। वास्तव में, जब 1994 में संशोधन किया गया था, तो ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों की सीमा तय करने के तौर-तरीकों के बारे में कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं था, जैसा कि के. कृष्ण मूर्ति में संविधान पीठ के फैसले में उल्लेख किया गया था। हालाँकि, उस निर्णय के बाद, राज्य के लिए यह अनिवार्य था कि वह पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करे और उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर [2021] 2 एस. सी. आर.

1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) में संशोधन करने के लिए। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरह के एक समर्पित आयोग की स्थापना तब तक की गई थी अब। [पैरा 11] [188-डी-जी]

4. चाहे जो भी हो, यह निर्विवाद है कि आरक्षण से पहले राज्य द्वारा आवश्यक ट्रिपल परीक्षण/शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

ओ. बी. सी. के लिए स्थानीय निकायों में सीटें अभी तक नहीं दी गई हैं। (1) संचालन के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना।

प्रकृति में समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच और

स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के निहितार्थ

राज्य; (2) आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों के अनुसार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना, ताकि अति विस्तार का उल्लंघन न हो; और (3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किसी दिए गए स्थानीय निकाय में, ओ. बी. सी. के पक्ष में इस तरह का आरक्षण प्रदान करने के लिए स्थान चुनाव कार्यक्रम (अधिसूचना) जारी करते समय उपलब्ध हो सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है।

उपरोक्त पूर्व शर्तों को पूरा करने पर ही अधिसूचित किया जाएगा। मान लीजिए, कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए समर्पित आयोग की स्थापना का पहला कदम अपने आप में एक चमत्कार ही है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यह उत्तरदाताओं के लिए खुला नहीं होगा कि वे ऊपर उल्लिखित ट्रिपल टेस्ट को पूरा किए बिना ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को सही ठहरा सकें। [पैरा 12] [189-बी-ई]

5. जहाँ तक 1994 में जोड़े गए 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) का संबंध है, सादा भाषा यह धारणा देती है कि एकरूपता

और राज्य भर में कुल सीटों में से 27 प्रतिशत की कठोर मात्रा को ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण के माध्यम से अलग करने की आवश्यकता है। संविधान पीठ के कथन के आलोक में, इस तरह के कठोर प्रावधान को राज्य के भीतर सभी स्थानीय निकायों में समान रूप से लागू होने के बावजूद बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके बजाय, क्वांटम क्वा स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय विशिष्ट की पहचान करने के लिए समकालीन अनुभवजन्य जांच की जानी चाहिए। [पैरा 13] [189-ई-एफ]

6. इस न्यायालय की राय में, धारा 12 (2) (सी) के रूप में प्रावधान को इसे पढ़कर बचाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण विकास किशनराव गवली बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस।

12 (2) (ग) इसे बचाया जा सकता है और साथ ही, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून को इसके अंतर्गत प्रभावी किया जा सकता है - पत्र और आत्मा। [पैरा 14] [189-जी-एच; 190-ए-बी]

7. अब तक दर्ज किए गए निष्कर्ष के आलोक में (कि कोई भी जांच बहुत कम समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच नहीं है)

इस उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित एक समर्पित आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ किए गए हैं), यह राज्य के लिए धारा पर वापस आने के लिए खुला नहीं है

12 (2) ((ग) जैसा कि 1994 में अधिनियमित किया गया था। वह प्रावधान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सक्षम प्रावधान है और कार्यात्मक हो जाएगा और

द्वारा निर्दिष्ट ट्रिपल परीक्षण को पूरा करने पर ही परिचालन

इस न्यायालय की संविधान पीठ। स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करने की शक्ति के प्रयोग के लिए यह अनिवार्य या सार है। वास्तव में, सीटें आरक्षित करने की शक्ति का प्रयोग ओ. बी. सी. के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) से उत्पन्न होता है, लेकिन यह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं से सुरक्षित है।

इस न्यायालय की संविधान पीठ और उस समय तक प्रज्वलित नहीं होगी। [पैरा 17] [190-जी-एच; 191-ए-बी]

संबंधित स्थानीय निकाय, आधारभूत के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं क्षेत्राधिकार त्रुटि। विवादित अधिसूचना (ओं) जिस हद तक संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण प्रदान करती है, इसलिए अमान्य है और कानून के अधिकार के बिना है। [पैरा 18] [191-बी-सी]

9. एक प्राथमिकता, संबंधित ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव

अकेले आरक्षित ओ. बी. सी. सीटें दूषित हैं और [2021] 2 एस. सी. आर. के मद्देनजर इसकी स्थापना से ही कानून की नजर में इसे गैर-महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उस संबंध में कानून की घोषणा। [पैरा 19] [191-सी-डी]

10. निष्कर्ष में, यह न्यायालय मानता है कि धारा 12 (2) (सी)

1961 का अधिनियम एक सक्षम करने वाला प्रावधान है और इसे इस अर्थ में पढ़ने की आवश्यकता है कि संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को अधिसूचित करने से पहले, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्दिष्ट तीन शर्तों का पालन करने पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यह न्यायालय उन विवादित अधिसूचनाओं को रद्द कर देता है जो ओ. बी. सी. के लिए सीटों के आरक्षण के लिए उस आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित अमान्य और गैर-कानूनी होने का प्रावधान करती हैं। दूसरे शब्दों में, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के चुनाव परिणाम जो इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन किए गए थे, जिसमें राज्य चुनाव द्वारा जारी संबंधित चुनाव कार्यक्रम में इस प्रकार अधिसूचित किया गया था। आयोग को कानून में गैर-कानूनी घोषित किया जाता है और रिक्तियों

इस घोषणा के कारण होने वाली सीटों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा तुरंत सामान्य/खुली सीटों से भरा जाए।

संबंधित स्थानीय निकायों के शेष कार्यकाल के लिए उम्मीदवार, उस संबंध में अधिसूचना जारी करके। [पैरा 25] [198-ई-जी; 199-ए-बी]

के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य। वी. भारत संघ और

एन. आर. (2010) 7 एससीसी 202: [2010] 6 एस. सी. आर. 972-अनुसरण किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 6 एससीआर 972

पीछा किया।

पै

रा 2

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

2019 की संख्या 980

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 981 2019 का 1408,2019 का 743।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संदीप सुधाकर देशमुख, अमोल बी।

करंडे, कपीश सेठ, मुकेश समर्थ, डी. एन. गोबर्धन, श्रीमती सुजाता कुमार मुनि, सोमनाथ पधन, रवींद्र केशवराव अदसुरे, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, अजीत कदथनकर, विजय कुमार, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री कुर्रतुलैन, सुश्री दामिनी हजेला, बृज किशोर साह, निकोलस चौधरी, आदित्य जाधव, हिमांशु भूषण, सुधांशु एस. चौधरी और महेश पी. शिंदे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

विकास किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट याचिकाएं

वाशिम, अकोला, नागपुर और भंडारा जिलों की जिला परिषदों और पंचायत समितियों से पूछताछ की गई है और यह प्रार्थना की जाती है कि उसी को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए। अतिरिक्त आरक्षित प्रतिशत और सीटों (से अधिक) को स्पष्ट करने के लिए जिलेवार चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

कुल सीटों का कुल 50 प्रतिशत), कुछ जिलों में, जो

इस प्रकार पढ़ता है:

" जिला: वाशिम

विशिष्टताएँ

कुल

जनरल

आरक्षित

50

प्रतिशत से अधिक

सीटें

एससी

एसटी ओ. बी. सी.

सीटें

प्रतिशत

जिला परिषद

5.76

%

52

23

3

26

ग्राम पंचायत

100 39

5.30

%

219

132

490

जिला: भंडारा

विशिष्टताएँ

जनरल

आरक्षित

कुल

50

प्रतिशत से अधिक

सीटें

एससी

एसटी

ओ. बी. सी.

प्रतिशत

सीटें

जिला परिषद

1

1.92 %

ग्राम पंचायत

1.75 %

9

जिला: अकोला

जनरल

कुल

विशिष्टताएँ

आरक्षित

50

प्रतिशत से अधिक

एससी

एसटी

सीटें

सीटें

ओ. बी. सी.

प्रतिशत

जिला परिषद

8.49

%

4

पंचायत समिति

8.49

%

9

ग्राम पंचायत

226

8.07

%

539

125

42

146

43

जिला: नागपुर

विशिष्टताएँ

कुल सामान्य

आरक्षित

50

प्रतिशत से अधिक

सीटें

ओ. बी. सी.

एसटी

प्रतिशत

एससी

सीटें

जिला परिषद

4

6.89 %

पंचायत समिति

6.03 %

7

ग्राम पंचायत

772

137

97

7.25 %

330

208

56

1 संक्षेप में, "1961 अधिनियम" सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20

21] 2 एस सी आर।

जिला: गोंडिया

विशिष्टताएँ

कुल

आरक्षित

जनरल

50

प्रतिशत से अधिक

सीटें

एससी

एसटी

ओ. बी. सी.

प्रतिशत

सीटें

जिला परिषद

6.60

%

3

पंचायत समिति

7.54

%

8

ग्राम पंचायत

7.35

%

40 "

(जोर दिया

गया)

2. इन मामलों में पहेली प्रदर्शनी के इर्द-गिर्द घूमती है।

के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य मामलों में इस न्यायालय की संविधान पीठ की। वी. भारत संघ & Anr.². उक्त निर्णय के उक्ति पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता आग्रह करेंगे कि संबंधित स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत (कुल) से अधिक सीटें आरक्षित करना अब उत्तरदाताओं के लिए खुला नहीं है। अनुसूचित जाति 3/अनुसूचित जनजाति */अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करके निकाय। जबकि, प्रत्यर्थी-राज्य आग्रह करेगा कि उल्लिखित निर्णय यह स्वीकार करता है कि सीटें आरक्षित करने की अनुमति है

1961 के अधिनियम में अनुमत सीमा तक ओ. बी. सी. के लिए। इसके अलावा, असाधारण स्थिति में, संबंधित स्थानीय निकायों (जिला परिषदों और पंचायत समितियों) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रति व्यक्ति 50 से भी अधिक हो सकता है। कुल सीटों का प्रतिशत। वर्तमान रिट याचिकाओं में यह केंद्रीय मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना है।

3. 1961 के अधिनियम की धारा 12 के रूप में प्रावधान सक्षम बनाता है।

उत्तरदाताओं को संबंधित जिले में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिए। परिषद और पंचायत समितियाँ। 1961 के अधिनियम की धारा 12 को इसके तहत पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 12. निर्वाचन प्रभाग में जिले का विभाजन। — (1) राज्य ने

निर्वाचन आयोग, चुनाव के प्रयोजनों के लिए -

पार्षद प्रत्येक जिले को चुनावी प्रभागों में विभाजित करते हैं (

प्रत्येक निर्वाचन प्रभाग के लिए एक अलग चुनाव होना चाहिए: बशर्ते कि, ऐसा निर्वाचन विभाजन इस प्रकार विभाजित किया जाएगा -

जिस तरह से प्रत्येक निर्वाचन की जनसंख्या के बीच का अनुपात

प्रभाग और इसके लिए चुने जाने वाले पार्षदों की कुल संख्या जिला परिषद, जहाँ तक व्यवहार्य है, पूरे समय समान रहेगी।

जिला परिषद क्षेत्रः

2 (2010) 7 एससीसी 202

3 संक्षेप में, "एससी"

4 संक्षेप में, "एसटीएस"

5 संक्षेप में, "ओ. बी. सी". के रूप में किशनराव गवली बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बशर्ते कि पंचायत समितियों के बीच ऐसे निर्वाचन प्रभागों को वितरित करते समय कम से कम दो निर्वाचन प्रभाग हों।

(2) (क) जिला परिषद में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों और महिलाओं के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। निर्धारित विधि:

(ख) जिला परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें

उस जिला परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का उतना ही अनुपात, जितना हो सके, अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, उस जिला परिषद क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का होगा।

उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को प्रभावित करता है और ऐसी सीटें होंगी

जिला में विभिन्न चुनावी प्रभागों को बारी-बारी से आवंटित

परिषद:

बशर्ते कि, पूरी तरह से शामिल एक जिला परिषद में

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होंगी।

जिला परिषद:

बशर्ते कि जिला परिषद में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण केवल आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में आता है

खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार होना:

बशर्ते कि इस प्रकार आरक्षित सीटों की कुल संख्या का आधा हिस्सा अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा:

((ग) पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें 27 प्रतिशत होंगी। चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या

जिला परिषद और ऐसी सीटें बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।

जिला परिषद में विभिन्न चुनावी प्रभागों के लिए: बशर्ते कि, पूरी तरह से शामिल एक जिला परिषद में

अनुसूचित क्षेत्र, व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें

पिछड़े वर्ग के नागरिकों की संख्या 27 होगी। प्रतिशत। आरक्षण [2021] 2 एस. सी. आर. के बाद शेष (यदि कोई हो) सीटों में से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें

जातियाँ: बशर्ते कि व्यक्तियों के लिए आरक्षण

जिला में नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में केवल आंशिक रूप से आने वाली परिषद

खंड (ग) के प्रावधानों के अनुसार होना:

बशर्ते कि सीटों की कुल संख्या का आधा

महिलाओं के लिए आरक्षित होगा

पिछड़े वर्ग के नागरिकों की श्रेणी -

(घ) आधा (महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

नागरिकों के पिछड़े वर्ग की श्रेणी) की कुल संख्या जिला परिषद में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटें

जिला परिषद में विभिन्न चुनावी विभाजन। (3) सीटों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा)

उप-धारा (2) के तहत समाप्ति पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि।

(जोर दिया गया)

4. हम तुरंत के. कृष्णा में निर्णय का विज्ञापन कर सकते हैं।

हाय (ऊपर)। निर्णय के पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने तैयार किया

इस पर विचार करने के लिए प्रश्न इस प्रकार हैं:

" 9. प्रस्तुतियों के प्रकाश में जिन्हें पैराफ्रेज़ किया गया है

बाद के पैराग्राफ, इस मामले में विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं निम्नलिखित तरीके से तैयार किया गया:

(i) क्या अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) हैं संवैधानिक रूप से वैध क्योंकि वे आरक्षण को सक्षम करते हैं

कब्जा करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों का पक्ष लेना

पंचायतों में सीटें और अध्यक्ष पद और क्रमशः नगरपालिकाएँ?

((ii) क्या अनुच्छेद 243-डी (4) और अनुच्छेद 243-टी (4) हैं संवैधानिक रूप से वैध क्योंकि वे आरक्षण को सक्षम करते हैं

पंचायतों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद

क्रमशः? "

(जोर दिया गया)

विकास किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की वैधता के सवाल पर चर्चा के संबंध में, न्यायालय ने आगे कहा - रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 58 से 67 में इसकी जांच करें। उक्त पर संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार का सार

सवाल यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-डी (6) और 243-टी (6) केवल प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं और इस पर प्रहार करना अनुचित होगा।

उन्हें समानता खंड का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान पिछड़े वर्गों की पहचान करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं और न ही वे ऐसे आरक्षण की मात्रा के लिए कोई सिद्धांत निर्दिष्ट करते हैं। इसके बजाय, राज्य विधानसभाओं को पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण लाभ तैयार करने और प्रदान करने का विवेकाधिकार दिया गया है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों पर विचार करते हुए, जिसमें -

आरक्षण क्रमशः 33 प्रतिशत और 27 प्रतिशत था, न्यायालय ने कहा कि कुछ अन्य राज्य विधानों के समान प्रावधानों के संबंध में भी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। वास्तविक चिंता राज्य विधानों में अति विस्तार के बारे में थी और पैराग्राफ 60 से 63 में उस पहलू पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख किया:

" 60. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि राज्य विधानों द्वारा प्रदान किया गया अत्यधिक और असमान आरक्षण वास्तव में अदालतों के समक्ष विशिष्ट चुनौतियों का विषय हो सकता है। हालाँकि, यह अनुच्छेद 243-डी (6) और 243-टी (6) को निरस्त करने को उचित नहीं ठहराता है, जो संवैधानिक प्रावधान हैं जो पहले पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण को सक्षम बनाते हैं। जहाँ तक विभिन्न राज्य विधानों के खिलाफ चुनौती का संबंध है, हमें पर्याप्त सामग्री या तर्क प्रदान नहीं किए गए थे जो हमें मदद कर सकते थे

उसी के बारे में निर्णय लें। की पहचान

आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग एक

कार्यकारी कार्य और अनुच्छेद 340 के अधिदेश के अनुसार, प्रकृति और निहितार्थ की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए समर्पित आयोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

पिछड़ेपन से। 61. कार्यपालिका का यह भी दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आरक्षण नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि अधिक विस्तार से बचा जा सके। कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम, 1993 के खिलाफ आपत्तियों के संबंध में, हम अदालत की रिपोर्टों का समर्थन कर सकते हैं

21] 2 एस सी आर।

चिन्नाप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट (1990) का उल्लेख करें जो यह उस स्थिति को दर्शाता है जो बीस साल पहले थी। अनुपस्थिति में

अद्यतन अनुभवजन्य डेटा के लिए, यह लगभग असंभव है

अदालतें तय करेंगी कि आरक्षण ओ. बी. सी. के पक्ष में है या नहीं

समूह आनुपातिक हैं या नहीं।

62. इसी तरह, उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, दावे

ओ. बी. सी. आबादी की सीमा 1991 पर आधारित है। जनगणना। अनिच्छुक के रूप में हम इन प्रश्नों को खुला छोड़ रहे हैं, यह

यह बिना कहे चला जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उठाने की स्वतंत्रता है राज्य विधानों के खिलाफ विशिष्ट चुनौती यदि वे इंगित कर सकते हैं

मदद से पिछड़े वर्गों की पहचान में खामियों को दूर करना अद्यतन अनुभवजन्य डेटा।

63. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन नहीं है

अनिवार्य रूप से राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ मेल खाता है। इस संबंध में,

राज्य सरकारों को उनके पुनर्गठन के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाती है आरक्षण नीतियाँ, जिनके तहत लाभार्थी

अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) आवश्यक नहीं है कि

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ

वर्ग (एस. ई. बी. सी.) [अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य के लिए] या यहाँ तक कि

पिछड़े वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व कम है

सरकारी नौकरियाँ [अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य के लिए]। यह होगा। यह कहने के लिए सुरक्षित रहें कि सभी समूह नहीं जिन्हें दिया गया है

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण लाभ स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता है। यह है।

क्योंकि राजनीतिक भागीदारी के लिए बाधाएं नहीं हैं शिक्षा तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान चरित्र

और रोजगार। इसके लिए कुछ नई सोच की आवश्यकता है और

स्थानीय स्तर पर आरक्षण के संबंध में नीति-निर्माण

सरकार "।

(जोर दिया गया)

6. फिर से, पैराग्राफ 64 में, अदालत ने अनुपस्थिति के बारे में उल्लेख किया

स्थानीय स्वशासन में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन। इसके लिए, मूल नियम आनुपातिक आरक्षण का है। न्यायालय ने सावधानी का एक शब्द जोड़ने के लिए जल्दबाजी की, जो संक्षेप में, कानूनी स्थिति की घोषणा है कि ऊर्ध्वाधर के संबंध में 50 प्रतिशत (मात्रात्मक सीमा) की ऊपरी सीमा

एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण को एक साथ किशनराव गवली बनाम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

हे। पैराग्राफ में भी इसे पूरी तरह से स्पष्ट और दोहराया गया है।

रिपोर्ट किया गया निर्णय, जो इस प्रकार है:

" 67. हाल ही में भारत संघ बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। राकेश

कुमार [(2010) 4 एससीसी 50: (2010) 1 एससीसी (एल एंड एस) 961: (2010) 1

स्केल 281] इस न्यायालय ने समझाया है कि यह क्यों आवश्यक हो सकता है

अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करें जो इससे अधिक हो

50 % अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में सीटों की संख्या। हालांकि, इस तरह के असाधारण विचार नहीं हो सकते हैं

जब हम मात्रा की जाँच कर रहे होते हैं तो आह्वान किया जाता है

इस उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण सामान्य क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकाय। ऐसे में

परिस्थितियों, अनुसूचित जातियों के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण / एसटी/ओ. बी. सी. 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकते हैं जब

कानून ताकि मौजूदा की मात्रा को कम किया जा सके ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण "।

(जोर दिया गया)

उस विश्लेषण पर, न्यायालय ने निष्कर्ष में निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया:

" निष्कर्ष

82. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

((i)

संदर्भ में आरक्षण की प्रकृति और उद्देश्य

स्थानीय स्वशासन से काफी अलग है उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार। इसमें

इस अर्थ में, अनुच्छेद 243-डी और अनुच्छेद 243-टी एक अलग रूप बनाते हैं

और सकारात्मक के लिए स्वतंत्र संवैधानिक आधार

कार्रवाई और सिद्धांत जो विकसित किए गए हैं

अनुच्छेद द्वारा सक्षम आरक्षण नीतियों के संबंध में

15 (4) और 16 (4) को संदर्भ में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है।

स्थानीय स्वशासन। बनाए जाने पर भी उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। की अवधि के अनुरूप अवधि के लिए नहीं होगा

अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए आरक्षण, लेकिन यह बहुत छोटा हो सकता है।

((ख)

अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) हैं -

संवैधानिक रूप से मान्य हैं क्योंकि वे प्रकृति में हैं

ऐसे प्रावधान जो केवल राज्य विधानमंडलों की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को सक्षम बनाते हैं

के पक्ष में सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित करना पिछड़े वर्ग। असंतुलन के बारे में चिंताएँ

आरक्षण को विशिष्ट रूप से बढ़ाया जाना चाहिए

राज्य के कानूनों के खिलाफ चुनौती।

((iii) हम दावों की जांच करने की स्थिति में नहीं हैं।

आरक्षण की मात्रा में अति विस्तार के बारे में विवादित राज्य के तहत ओ. बी. सी. के लिए प्रावधान

कानून क्योंकि कोई समकालीन नहीं है

प्रतिरूपों की कड़ी जाँच करें पिछड़ेपन जो राजनीतिक बाधाओं के रूप में कार्य करता है

भागीदारी जो वास्तव में काफी अलग हैं के मामले में नुकसान के पैटर्न

शिक्षा और रोजगार तक पहुंच। जैसा कि हमारे पास है। केवल संवैधानिक वैधता पर विचार किया और निर्णय लिया

अनुच्छेद 243-डी (6) और 243-टी (6) में से, यह इसके लिए खुला रहेगा

याचिकाकर्ता या कोई पीड़ित पक्ष किसी को भी चुनौती देने के लिए

उच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक प्रावधान। हम हैं। इस दृष्टिकोण से कि "पिछड़े" की पहचान

अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों का 16 (4) .

50 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा

((iv)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में।

अपवाद केवल सुरक्षा के लिए किए जा सकते हैं।

इस मामले में अनुसूचित जनजातियों के हित

में स्थित पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का

अनुसूचित क्षेत्र।

अध्यक्ष पदों का आरक्षण इस तरह से

(v)

अनुच्छेद 243-डी (4) और 243-टी (4) द्वारा विचार किया गया है

संवैधानिक रूप से वैध। ये अध्यक्ष पद नहीं हो सकते हैं।

जनता के संदर्भ में एकल पदों के साथ बराबरी की जाए रोजगार "।

(जोर दिया गया)

विकास किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

7. रिपोर्ट किए गए निर्णय में व्याख्या को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, जो आगे आता है वह यह है कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण केवल एक "वैधानिक" है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में "संवैधानिक" आरक्षण के विपरीत राज्य विधानों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवस्था जो जनसंख्या के अनुपात से जुड़ी हुई है। जहां तक ओ. बी. सी. के संबंध में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने वाले राज्य कानूनों का संबंध है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ. बी. सी. के संबंध में कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण संबंधित स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक आरक्षण से संबंधित स्थानीय निकायों में पूरी 50 प्रतिशत और कुछ मामलों में अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक सीटों का उपभोग होना था, तो ऐसे स्थानीय निकायों के संबंध में आगे आरक्षण प्रदान करने का सवाल था।

(एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के लिए सीटों के ऊर्ध्वाधर आरक्षण का कुल) लिया गया एक साथ।

8. इस अलंघनीय मात्रात्मक सीमा के अलावा, राज्य प्राधिकरण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने से पहले अन्य पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय निकायों में। सबसे प्रमुख आवश्यकता पर्याप्त सामग्री या दस्तावेजों को इकट्ठा करना है जो आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

एक स्वतंत्र समर्पित निकाय के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की कठोर अनुभवजन्य जांच इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार, राज्य विधान राज्य भर के स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए सीटों के समान और कठोर मात्रा में आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं, वह भी पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना।

इस तरह के आरक्षण की अनिवार्यता के बारे में स्वतंत्र आयोग। इसके अलावा, यह एक स्थिर व्यवस्था नहीं हो सकती है। समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस तरह के आरक्षण के अति विस्तार के सिद्धांत का उल्लंघन न हो (जो अपने आप में एक सापेक्ष अवधारणा है और गतिशील है)। इसके अलावा, यह केवल उस हद तक सीमित होना चाहिए जब तक यह आनुपातिक हो और मात्रात्मक सीमा के भीतर हो जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है।

9. विशेष रूप से, संविधान पीठ ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अधिकांश राज्य विधानों के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसकी वैधता के बारे में प्रश्न को विशिष्ट (2021) 2 एस. सी. आर. उठाने की स्वतंत्रता के साथ खुला छोड़ दिया।

पहचान में खामियों को इंगित करके उन्हें चुनौती

अनुभवजन्य आंकड़ों के संदर्भ में पिछड़े वर्ग। इसके अलावा, संविधान पीठ ने एक आशावादी आशा व्यक्त की कि संबंधित राज्यों को उक्त निर्णय के आलोक में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के संबंध में नीति निर्माण पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी नीति ऊपरी सीमा का पालन करती है जिसमें उनके विधानों में संशोधन करना भी शामिल है-ताकि ओ. बी. सी. के पक्ष में मौजूदा कोटा की मात्रा को कम किया जा सके और इसे उद्देश्य पर यथार्थवादी और मापने योग्य बनाया जा सके।

मापदंड।

10. कानून की इस घोषणा और इस विषय पर सभी राज्यों को जारी किए गए सामान्य टिप्पणियों और निर्देशों के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल ने मौजूदा प्रावधानों पर फिर से विचार नहीं किया।

जो इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून के खिलाफ था। वास्तव में, बॉम्बे उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें महाराष्ट्र राज्य की ओर से गंभीर आश्वासन दिया गया कि प्रकाश में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

इस न्यायालय के निर्णय को सही तरीके से लिया जाएगा। लेकिन, स्थिति जस की तस बनी रही।

11. वास्तव में, इस बारे में कोई सामग्री सामने नहीं आ रही है कि किस आधार पर ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण की मात्रा 27 प्रतिशत तय की गई थी। जब इसे 1994 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। वास्तव में, जब 1994 में संशोधन किया गया था, तो ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों की सीमा निर्धारित करने के तौर-तरीकों के बारे में कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं था, जैसा कि के. कृष्ण मूर्ति (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले में उल्लेख किया गया था। हालाँकि, उस निर्णय के बाद, राज्य के लिए यह अनिवार्य था कि वह समकालीन कठोर कार्रवाई करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करे

राज्य सरकार के उस रुख के आलोक में, यह समझ से परे है कि उत्तरदाता संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को कैसे उचित ठहरा सकते हैं। 6 डब्ल्यू. पी. 2016 का (सिविल) No.6676 और W. P. (सिविल) 2018 का No.5333 विकास किशनराव गवली बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिन निकायों के संबंध में चुनाव वर्ष दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में हुए हैं, जिनकी अधिसूचनाओं को वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन चुनाव को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

ओ. बी. सी. के लिए निकाय अभी तक नहीं बनाए गए हैं। (1) समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ; (2) राज्य निकायों की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों के अनुसार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना।

चुनाव कार्यक्रम (अधिसूचना) जारी करने के समय उपलब्ध हो सकता है। हालाँकि, उपरोक्त पूर्व शर्तों को पूरा करने पर ही इसे अधिसूचित किया जा सकता है। मान लीजिए, कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए समर्पित आयोग की स्थापना का पहला कदम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम बना हुआ है।

मिराज। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यह उत्तरदाताओं के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किए बिना ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को सही ठहराने के लिए खुला नहीं होगा, जिसे संदर्भित किया गया है।

ऊपर।

13. जहाँ तक 1994 में जोड़े गए 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) का संबंध है, सादा भाषा यह धारणा देती है कि एकरूपता और कठोर मात्रा।

राज्य भर में कुल सीटों में से 27 प्रतिशत को ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण के माध्यम से अलग करने की आवश्यकता है। संविधान पीठ के आदेश के आलोक में, इस तरह के कठोर प्रावधान को राज्य के भीतर सभी स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू होने के बावजूद बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके बजाय, क्वांटम क्वा स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय विशिष्ट की पहचान करने के लिए समकालीन अनुभवजन्य जांच की जानी चाहिए। 14. हमारी राय में, धारा 12 (2) (सी) के रूप में प्रावधान को इसे पढ़कर बचाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आरक्षण के पक्ष में

संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. को इस हद तक अधिसूचित किया जा सकता है कि यह एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। दूसरे शब्दों में, धारा 12 (2) (सी) में आने वाले 27 प्रतिशत से पहले की अभिव्यक्ति "होगी", का अर्थ "हो सकता है" के रूप में किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की बाहरी सीमा के अधीन [2021] 2 एस. सी. आर.

एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. को एक साथ लिया गया, जैसा कि संविधान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस न्यायालय की पीठ। इस तरह की व्याख्या पर, धारा 12 (2) (सी) को बचाया जा सकता है और साथ ही, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून को उसके अक्षर और भावना से प्रभावी किया जा सकता है।

यदि उस याचिका को स्वीकार किया जाता है, तो यह इस न्यायालय की संविधान पीठ के उस कथन के अनुरूप होगा जिसमें इसे नोट किया गया है और खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने एक ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण के मामले में अंतर के बारे में बताया है, जो कि जनसंख्या से जुड़ा एक "संवैधानिक" आरक्षण है, जबकि दूसरी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) के मामले में ऐसा नहीं है। " वैधानिक "वितरण। इसलिए, ओ. बी. सी. के लिए बाद वाला आरक्षण अनिवार्य है।

प्रकृति और पिछड़ेपन के प्रभाव के संदर्भ में आनुपातिक हो और किसी भी मामले में, केवल उस सीमा तक अनुमति है जब तक कि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानीय निकायों में कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। 16. वास्तव में, इस न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को आदेशों के संदर्भ में पुरानी व्यवस्था के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी थी

दिनांकित 28.08.2019,07.11.2019 और 13.12.2019, प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड करके

जैसा कि दिनांकित 18.12.2019 क्रम में उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि पांच जिलों (नागपुर, वाशिम, अकोला, धुले और नंदुरबार) के संबंध में चुनावों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) की वैधता पर सवाल उठाने वाली वर्तमान रिट याचिकाओं का परिणाम। इस प्रकार समझा जाता है कि उत्तरदाता पुराने को चुनौती देने से बचने के लिए प्रथम दृष्टया टिप्पणियों का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बावजूद और विशेष रूप से, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की अधिसूचनाओं के लिए व्यवस्था जारी रखी जा रही है। संबंधित स्थानीय निकायों में कुल सीटों का कुल 50 प्रतिशत।

17. अब तक दर्ज किए गए निष्कर्ष के आलोक में (कि कोई भी जांच प्रकृति की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच से बहुत कम नहीं है और

इस उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित एक समर्पित आयोग द्वारा पिछड़ेपन के निहितार्थ किए गए हैं), यह राज्य के लिए 1994 में अधिनियमित धारा 12 (2) (सी) पर वापस आने के लिए खुला नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है और कार्यात्मक हो जाएगा।

और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्दिष्ट तिहरे परीक्षण को पूरा करने पर ही प्रभावी होगा। वह साइन क्वा नॉन या है

विकास किशनराव गवली बनाम में ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करने की शक्ति के प्रयोग के लिए सार।

महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्थानीय निकाय। वास्तव में, ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करने की शक्ति का प्रयोग 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) से उद्भूत है, लेकिन यह इस अधिनियम की संविधान पीठ द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं से सुरक्षित है।

अदालत और उस समय तक प्रज्वलित नहीं होगा। 18. इस प्रकार, राज्य चुनाव आयोग द्वारा संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में ओ. बी. सी. के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए जारी की गई विवादित अधिसूचनाओं को समझा गया।

निकाय, मूलभूत क्षेत्राधिकार त्रुटि के दोष से पीड़ित हैं। विवादित अधिसूचना (ओं) जिस हद तक संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण प्रदान करती है, इसलिए अमान्य है और कानून के अधिकार के बिना है।

19. एक प्राथमिकता, राज्य चुनाव द्वारा आयोजित चुनाव

केवल आरक्षित ओ. बी. सी. सीटों से संबंधित ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर आयोग को दूषित किया जाता है और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस संबंध में कानून की घोषणा के मद्देनजर इसे अपनी स्थापना से ही कानून की नजर में गैर-महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तथ्य यह है कि यह पांच जिलों में या अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में सीटों को प्रभावित करेगा जहां इस तरह के चुनाव 2019/2020 में आयोजित किए जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के आरक्षण की कानून में अनुमति तब तक नहीं थी जब तक कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रस्तावित आवश्यक कदम चुनाव अधिसूचना जारी करने से पहले नहीं उठाए गए थे, वह भी केवल मात्रात्मक सीमा की सीमा तक। यह स्थिति राज्य चुनाव आयोग द्वारा आरक्षित ओ. बी. सी. सीटों के संबंध में आयोजित सभी चुनावों पर पूरी तरह से लागू होगी, जिसमें विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा कि यह इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी। राज्य चुनाव आयोग को आगे बढ़ते हुए कदम उठाने चाहिए और संबंधित ग्राम पंचायतों के शेष कार्यकाल के लिए खुले/सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले इस निर्णय के संदर्भ में खाली सीटों के लिए चुनाव को अधिसूचित करना चाहिए।

और समितियाँ। हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह पहचानना संभव नहीं है कि संबंधित स्थानीय निकाय में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों में से कौन सी सीट ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित कुल सीटों में से इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून की अवहेलना करेगी।

20. प्रत्यर्थी-विद्वान वकील के माध्यम से राज्य ने आग्रह किया था कि इस न्यायालय को वर्तमान रिट याचिकाओं को रिट याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए? उसी राहत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी लंबित थे। हम इस अति तकनीकी आपत्ति से प्रभावित नहीं हैं। यह सच है कि दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन फिर भी मुद्दा

7 डब्ल्यू. पी. 2019 की (सिविल) संख्या 2756; डब्ल्यू. पी. (सिविल) 2019 की संख्या 2893 और डब्ल्यू. पी. (सिविल) 2020 की सं. 9159 [2021] 2 एस. सी. आर.

समान राहतों के लिए प्रार्थना करने वाली अन्य दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के कहने पर विचाराधीन जवाब देने की आवश्यकता है। वास्तव में, हमारे लिए यह संभव होता कि हम उच्च न्यायालय से पहली बार में इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अनुरोध करें, लेकिन चूंकि यह मामला अनिवार्य रूप से के. कृष्ण मूर्ति (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दी गई घोषणा और निर्देशों के विस्तार और इसके अक्षरशः कार्यान्वयन से संबंधित है, इसलिए हम विचाराधीन मुद्दे का जवाब देना उचित समझते हैं।

21. यह प्रतिवादी द्वारा हल्का सा सुझाव दिया गया है-राज्य अपने

लिखित निवेदन कि रिट याचिका को आगे के लिए निर्धारित किया जा सकता है सुनना। हालाँकि, हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह की याचिका क्यों रखी गई है, विशेष रूप से जब राज्य पहले ही इस न्यायालय में एक समेकित हलफनामा दायर कर चुका है, इसके बाद दायर व्यापक लिखित प्रस्तुतियों के अलावा।

मौखिक तर्कों का समापन। हमारी राय में, उस भोग को दिखाने से कोई फलदायी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि, इस मामले को निर्विवाद तथ्य के आधार पर निपटाया जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों के लिए सीटें आरक्षित करने का निर्देश देने से पहले

स्थानीय निकायों, राज्य सरकार द्वारा समकालीन कठोर अनुभवजन्य संचालन के लिए एक समर्पित आयोग स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था

पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की जांच करना और फिर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना। इस तथ्य से पुष्टि होती है कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर समेकित हलफनामा-2017 की एसएलपी (सिविल) संख्या 33904 में राज्य, जो वर्तमान रिट याचिकाओं के अनुरूप सुनवाई के बाद 17.02.2021 पर निपटारे तक प्रमुख मामला था। वह समेकित हलफनामा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिनांक 19.01.2021 के आदेश के अनुसार दायर किया गया था, जो

इस प्रकार पढ़ता है: "
पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। हम उत्तरदाता को निर्देश देते हैं

आवेदन (ओं) के लिए उपस्थित विद्वान वकील पर परोसा जाना आज से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित याचिकाकर्ता/आवेदक।

हम स्पष्ट करते हैं कि समेकित हलफनामा एक सामान्य होगा।

संबंधित याचिकाकर्ताओं और आवेदनों में उपयोग किया गया शपथ पत्र

जैसा कि मामला हो सकता है।

11.02.2021 "पर सूची बनाएँ।

(जोर दिया गया)

किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तदनुसार, दिनांकित समेकित हलफनामा 04.02.2021 आया

उपायुक्त द्वारा विधिवत शपथ लिए गए राज्य के नेतृत्व में

आशीर्वाद), जो इस प्रकार है:

स्वयं को जिम्मेदार ठहराने पर बाहरी विश्वास

आई, डी. डी. शिंदे की आयु 55 वर्ष है। सेवा, जो वर्तमान में संभागीय आयुक्त, नासिक, महाराष्ट्र के कार्यालय में उपायुक्त (प्रतिष्ठान) के रूप में कार्य कर रही है, इसके तहत गंभीर पुष्टि पर प्रस्तुत करती है:

1. मैं वर्तमान में प्रत्यर्थी का अधिकृत अधिकारी हूँ।

प्रत्यर्थी की ओर से इस जवाबी शपथ पत्र की शपथ लेने के लिए सक्षम और अधिकृत। 2. मैंने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका की सामग्री का अध्ययन किया है, जिसके जवाब में उत्तरदाता उत्तरदाता दायर करना चाहता है।

अभिकथनों का विरोध करने के लिए यह जवाबी हलफनामा और

इस स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका के विवाद माननीय न्यायालय आवश्यकतानुसार और इस माननीय न्यायालय की अनुमति से एक और जवाबी हलफनामा दायर करेगा।

3. राज्य सरकार ने 05.11.2019 और 13.03.2020 दिनांकित शपथ पत्र दायर किए हैं, और मैं उसी की सामग्री को दोहराता और दोहराता हूं जैसे कि उन्हें यहाँ विस्तार से निर्धारित किया गया है। मैं कहता हूं कि मैं उपरोक्त में पारित अपने दिनांक 19.01.2021 के आदेश में माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह शपथ पत्र दाखिल कर रहा हूं।

विशेष अवकाश याचिका।

4. मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के पांच जिलों नागपुर, वाशिम, अकोला, धुले और नंदुरबार के जिला परिषदों के चुनाव दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में हुए थे।

इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश। उपरोक्त सभी जिलों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपरोक्त सभी जिलों में आरक्षण नहीं हो सकता था।

50 प्रतिशत से अधिक हो गया क्योंकि यह ऊपरी सीमा थी जैसा कि इंद्र साहनी बनाम भारत संघ के निर्णयों में निर्धारित किया गया था।

एस. सी. सी. 217 और के. कृष्णमूर्ति बनाम संघ का निर्णय।

भारत ने (2010) 7 एस. सी. सी. 202 में रिपोर्ट किया। एकमात्र मुद्दा जो [2021] 2 एस. सी. आर.

अनिवार्य रूप से इस माननीय न्यायालय के विचार के लिए शेष है, इन सभी मामलों में यह है कि क्या उपरोक्त सभी पांच जिलों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता था।

5. मैं दोहराता हूं और दोहराता हूं कि दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में हुए चुनाव पुरानी व्यवस्था के आधार पर हुए हैं, लेकिन भविष्य के चुनावों के लिए राज्य सरकार को जनसंख्या का श्रेणीवार विभाजन प्रदान करना होगा और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग (बी. सी. सी.) के संबंध में, क्योंकि जानकारी केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. ए. No.188324/2019 की अनुमति दी जाए और भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय को उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं में पक्षकारों के रूप में जोड़ा जाए। यह है।

आई. ए. No.188318/2019 को अनुमति दी जाए और भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय के सचिव को सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए, जो केवल ग्रामीण महाराष्ट्र के नागरिकों की जाति से संबंधित हो, ताकि महाराष्ट्र सरकार उन जातियों की जनसंख्या की गणना कर सके जो महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के नागरिकों (बी. सी. सी.) का हिस्सा हैं।

6. मैं निर्णय के संबंध में दोहराता हूं और दोहराता हूं

के. कृष्णमूर्ति (ऊपर) में इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ, और विशेष रूप से पैराग्राफ नं। 83 ((iv) इसके संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद सं। 59 , 64 , 66 और 67 इसके कारण इस बात पर संदेह पैदा होता है कि क्या 50 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण का उल्लेख पैराग्राफ नं. 82 ((iv) अपरिवर्तनीय माना जा सकता है। पाँच जिलों के संबंध में आंकड़ों का विभाजन (दिनांक 18.12.2019 के आदेश में उल्लिखित) से पता चलता है कि यदि पैराग्राफ नं. 82 ((iv) जिनका सख्ती से पालन किया जाना है, कम से कम धुले के संबंध में उनका प्रभाव डालना संभव नहीं हो सकता है और

नंदुरबार जिले जहाँ आदिवासियों की आबादी अधिक है।

7. मेरा कहना है कि के. कृष्ण मूर्ति (सुप्रा) के मामले में इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आरक्षण की प्रकृति और उद्देश्य उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार से काफी अलग है। यह आगे बताता है कि अनुच्छेद 243-डी और अनुच्छेद 243-टी एक विशिष्ट और स्वतंत्र संवैधानिक रूप से किशनराव गवली बनाम का निर्माण करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सकारात्मक कार्रवाई के लिए आधार और संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) द्वारा सक्षम आरक्षण नीतियों के संबंध में विकसित सिद्धांत को स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है।

8. मेरा कहना है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में

धुले जिले में दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में हुए चुनावों में 56 में से 23 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए आरक्षित थीं, जो जनसंख्या अनुपात को ध्यान में रखते हुए थी। यह स्वयं इस माननीय न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदान की गई 50 प्रतिशत ऊपरी सीमा का उपभोग किया, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए 3 आरक्षण छोड़े गए। धुले जिले में शक्तरी और शिरपुर के तालुक आंशिक रूप से 'अनुसूचित क्षेत्र' हैं। नंदुरबार जिले में, नवापुर, तलोदा, अक्कलकुवा और अकरानी के तालुक पूरी तरह से 'अनुसूचित क्षेत्र' हैं और नंदुरबार और शाहदा के ब्लॉक आंशिक रूप से 'अनुसूचित क्षेत्र' हैं। मैं कहता हूं कि आंशिक रूप से 'अनुसूचित क्षेत्र' होने के कारण धुले और नंदुरबार दोनों जिले इंद्र साहनी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अपवादों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, इंद्र साहनी (सुप्रा) का निर्णय इस संबंध में दिया गया था -

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा सक्षम आरक्षण उपाय।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरक्षण के सिद्धांत जो सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होते हैं, वे लागू नहीं हो सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण। इसके अलावा, इंद्र का मामला साहनी (सुप्रा) ने खुलासा किया कि हालांकि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन उक्त निर्णय कुछ में असाधारण व्यवहार की आवश्यकता को पहचानता है।

परिस्थितियाँ। इंद्र साहनी (ऊपर) का मामला निर्धारित करता है 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा (निर्णय के पैराग्राफ 806 में) क्योंकि अनुच्छेद 16 (4) 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' से संबंधित है और नहीं

' आनुपातिक प्रतिनिधित्व '। इसलिए हुए थे चुनाव

दिसंबर 2019/जनवरी 2020 को धुले और नंदुरबार जिलों के लिए अलग नहीं रखा जाना चाहिए।

10. किसी भी स्थिति में, जैसा कि दिनांकित शपथ पत्र में विस्तार से बताया गया है

13.3.2020 , मैं कहता हूं कि राज्य सरकार जनसंख्या का श्रेणीवार विभाजन प्रदान करने में असमर्थ है और

50 % सीटों में से, केवल 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक और इस माननीय न्यायालय द्वारा अलग नहीं किया जाना चाहिए। 11. मैं दोहराता हूं और दोहराता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक आर्थिक का डेटा केवल ग्रामीण महाराष्ट्र के नागरिकों की जाति से संबंधित क्षेत्र की सीमा तक, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किया जाए, ताकि राज्य सरकार उन जातियों की जनसंख्या की गणना कर सके जो महाराष्ट्र में नागरिकों की पिछड़ी जाति (बी. सी. सी.) का हिस्सा हैं।

12. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जानी चाहिए।

13. कि कोई भी नया अतिरिक्त तथ्य या दस्तावेज, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, जवाबी हलफनामे में नहीं बताए गए हैं या संलग्न नहीं किए गए हैं। इसलिए यह जवाबी हलफनामा।

(प्रतिपाद

क)

द्वारा खींचा गया:

एसडी /

राहुल चिटनिस, अधिवक्ता।

(डी. डी.

शिंदे) "

(जोर दिया

गया)

22. वास्तव में, यह हलफनामा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि कुछ स्थानीय निकायों के मामले में, सामान्य श्रेणी के लिए नाममात्र की सीटों के साथ आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस स्तर पर, यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि समेकित हलफनामा पिछले हलफनामे (तारीखों) 5.11.2019 और 13.03.2020 को संदर्भित करता है, जिसमें हालांकि, कोई प्रमाण नहीं है।

अन्य कथन, या कोई अतिरिक्त जानकारी, जिसके लिए इस निर्णय में उत्तर दिए गए मुद्दों के संदर्भ में जांच की आवश्यकता है। समेकित शपथ पत्र एसएलपी (सिविल) सं. के निपटारे में दायर तीन अंतर्वर्ती आवेदनों को भी संदर्भित करता है। 33904-33910 2017 से। 2019 का आई. ए. No.188324 भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय को एस. एल. पी. में पार्टी उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करने की अनुमति देने के निर्देश के लिए दायर किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य ने उस पार्टी के खिलाफ जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश मांगा था, जिसके आधार पर राज्य द्वारा 2019-2020 में होने वाले चुनावों में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) को आरक्षण प्रदान करने के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। उस राहत का दावा राज्य ने 2019 के आई. ए. No.188318 में किया था। चूंकि उक्त चुनाव पूरे हो चुके हैं, इसलिए राज्य आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। भारत संघ आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो तब संबंधित समूहों के पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले समर्पित आयोग को उपलब्ध कराई जा सकती है। जहां तक समेकित हलफनामे में उल्लिखित 2019 के आई. ए.

No.108915 के संबंध में, दावा किया गया राहत संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आसन्न चुनावों को स्थगित करने के लिए था। उन चुनावों को 2019/2020 में पूरा किया गया है, जाहिर है कि राहत जैसा दावा किया गया है। इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि राज्य सरकार इस तरह के तुच्छ और विशिष्ट आधारों पर मामले की आगे की सुनवाई क्यों चाहती है। संयम का पालन करने के लिए, हम और नहीं कहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. हालाँकि, हम राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिए गए रुख की सराहना करते हैं जो संविधान की व्याख्या के अनुरूप है।

इस न्यायालय की पीठ; और यह कि उसने सभी संबंधित लोगों को यह स्पष्ट करते हुए विवादित अधिसूचनाएं जारी की थीं कि चुनाव इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयोजित किए जा रहे थे और वर्तमान रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे। चुनाव तभी हुए जब इस न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अधिक से अधिक चुनाव हों

चूंकि राज्य के पांच जिलों (36 जिलों में से) का संचालन संबंधित स्थानीय निकायों के निवर्तमान पार्षदों/सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के दो साल से अधिक समय के बाद भी नहीं किया जा रहा था।

24. राज्य चुनाव आयोग ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था

तथ्य यह है कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण के संबंध में 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) के समान प्रावधान अन्य राज्य अधिनियमों में मिलता है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, निगम आदि की स्थापना। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि लिया गया दृष्टिकोण

कथित अधिनियम (ओं) और राज्य प्राधिकरणों के प्रावधानों का अनुप्रयोग सुधारात्मक और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित स्थानीय निकायों के लिए भविष्य के चुनाव ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए के. कृष्ण मूर्ति (ऊपर) में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के अनुरूप सख्ती से आयोजित किए जाते हैं।

25. अंत में, हमारा मानना है कि 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) एक सक्षम प्रावधान है और इसे इस अर्थ में पढ़ने की आवश्यकता है कि

8 (1) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959-धारा 10 (2) (सी) (2) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 धारा 9 (2) (डी) और 341 (बी) (4) (3) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949-धारा 5 ए (1) (सी)

विकास किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संभावित रूप से। यह निर्देश पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। 27. यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण किए गए कानूनों को बाधित करने से बचना चाहिए।

चुनाव। हालाँकि, हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में संबंधित स्थानीय निकायों के लिए दिसंबर 2019 से आयोजित चुनावों में भागीदारी स्पष्ट समझ पर थी कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित सीटों के परिणाम इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे। यह राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेशों के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुरूप, प्रासंगिक समय पर इसके द्वारा। इसलिए, इस निर्णय के संदर्भ में जो राहत का दावा किया गया है और दी जा रही है, वे इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुरूप हैं।

28. तदनुसार, इन रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से सफल होना चाहिए। द.

1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) की वैधता को चुनौती देना अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बजाय, उस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जा रहा है कि आरक्षण में

संबंधित स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. के पक्ष को इस हद तक अधिसूचित किया जा सकता है कि यह एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक न हो। दूसरे शब्दों में, धारा 12 (2) (सी) में आने वाली 27 प्रतिशत से पहले की अभिव्यक्ति "होगी", का अर्थ "हो सकता है" के रूप में किया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन 50 की बाहरी सीमा के अधीन है।

एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. के पक्ष में कुल प्रतिशत, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हालांकि, इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई दिनांक 27.7.2018 और 14.2.2020 की विवादित अधिसूचनाएं/आदेश और इसी तरह की अन्य सभी अधिसूचनाएं जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित स्थानीय निकायों के चुनाव इन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के परिणाम के अधीन आयोजित किए जा रहे थे।

21] 2 एस सी आर।

रिट याचिकाओं को रद्द कर दिया जाता है और ओ. बी. सी. के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने की सीमा तक अलग रखा जाता है। परिणामस्वरूप, ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर आगे के कदम उठाए जाते हैं।

संबंधित स्थानीय निकायों में आरक्षित ओ. बी. सी. सीटों के खिलाफ उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा सहित, गैर-कानूनी घोषित किए जाते हैं और इस निर्णय के संदर्भ में संबंधित उम्मीदवार (ओं) द्वारा संभावित रूप से सीटें खाली की गई मानी जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत/समितियों के शेष कार्यकाल के लिए सामान्य/मुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली संबंधित स्थानीय निकायों की ऐसी खाली सीटों के संबंध में आज से दो सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। आदेश दिया।

तदनुसार।

रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई ऑर्डर नहीं

लागतों के लिए।

सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।